

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला बून्दी

बनाम ..... सरकार  
मुकदमा नं. 385/प्रा0पत्र/सत्र/2025

किरम मुकदमा:- 111,120 LRAct नं. 385/प्रा0पत्र/सत्र/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/6/25	प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी मय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र वर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्य सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17/6/25 को पेश हो।	
17/6/25	पत्रावली पेश हुई। तलबी रिपोर्ट व TDR रिपोर्ट अउप-वन्ते उतवार तलबी अंग TDR रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 1/7/25 को पेश हो।	
1/7/25	पत्रावली पेश हुई अविवाक उमय का उपस्थित है। आज श्रमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौर में तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्वलेन्स पर है। अतः तदनी ताविक कार्यवाही हेतु दिनांक 01/7/25 को पेश हो	
10/7/25	वकील प्रार्थी उप-। TDR रिपोर्ट प्राप्त। जवाब पेशोका सरकार पेश किया। बहम प्रा0पत्र सूची गए। पत्रावली वान्ति ओडिश दि. 01/7/25 को पेश हो।	
15/7/25	पत्रावली आज वान्ति ओडिश पेश हुई। प्रा0पत्र प्रार्थी न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है। विद्वृत निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शांति किया गया। निर्णय खुले न्यायाच सुनाया गया। पत्रावली प्राप्त हुआ होकर नम्बर से उभ हो। बाद तामील तफ्तील निममानुसा दाखिल दफ्तर हो।	

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं०

385/प्रा०पत्र/2025

तारीख दायरा

10.06.2025

तारीख फैसला

15.07.2025

1. गुरुद्वारा अगमगढ़ साहब बड़गाव जय बलविन्दर सिंह उम वयस्क पुत्र श्री फकीर सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी गुरुद्वारा बड़गाव बून्दी रोड़ कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
2. गुरुद्वारा अगमगढ़ साहब बड़गाव जय लखविन्दर सिंह उम वयस्क पुत्र श्री गुरुदयाल जाति जट सिक्ख निवासी गुरुद्वारा बड़गाव बून्दी रोड़ कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
3. परमजीत कौर पत्नि स्व. जसवन्तसिंह जाति जट सिक्ख निवासी जाल की झोपडिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।
4. सुखवीर सिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति जट सिक्ख निवासी जाल की झोपडिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जय तहसीलदार, तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

—अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी:- श्री अखिलेश जैन

अधिवक्ता अप्रार्थीगण:- पेटोकार सरकार

— : : निर्णय : : —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 101 रकबा 101 रकबा 0.1781 हैक्टेयर खसरा संख्या 102 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा सं. 134 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा सं. 234/132 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा सं. 76 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा सं. 80 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा सं. 99 रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुра तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जो वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है उपरोक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी पर तारबन्दी करवाना चाहते हैं। जिसके लिए उक्त भूमि पर तहसीलदार तालेड़ा से सीमाज्ञान करवाया। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि का औपचारिक रूप से सीमाज्ञान किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी तहसीलदार तालेड़ा से करवाई जाने बाबत आदेशित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। उक्त आराजीयात माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 101 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा संख्या 102 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 134 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा सं. 234/132 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा सं. 76 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा सं. 80 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा सं. 99 रकबा 1.6268 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान की मोक के पर पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार तालेड़ा को दिये जाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा दिनांक 27.6.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना एवं भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार होना अंकित किया गया साथ ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर किसी भी न्यायालय में स्थगन एवं वाद दायर नहीं होना अंकित किया।

६/७




साक्ष्य में प्रार्थीगण की और से नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 18 नया 20 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 की प्रति एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट की छायाप्रति पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खतौनी संख्या पुरानी 18 नया 20 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 में प्रार्थीगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

#### आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढी का शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में वाद वर्णित खतौनी संख्या पुरानी 18 नया 20 वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल कैथुदा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी संवत् 2076 की पत्थरगढी की जावे। वाद वर्णित आराजी पर यदि किसी न्यायालय में स्थगन अथवा भूमि विवादित हो तो नियमानुसार कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

  
(हरबिन्दर डी. सिंह)  
उपस्वण्ड अधिकारी  
तालेड़ा